भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2556
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के अंतर्गत नुकसान का आकलन

2556. श्री कुलदीप इंदौराः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की जानकारी में आया है कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में कई किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत हुए वास्तविक फसल नुकसान की तुलना में अत्यंत कम दावे प्राप्त हुए हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान दोनों जिलों में बीमा कंपनी-वार और वर्ष-वार प्रस्तुत किए गए बीमा दावों, स्वीकृत एवं अस्वीकृत दावों तथा वितरित की गई दावा राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से फसल कटाई के दौरान तथा नुकसान के आकलन की प्रक्रिया के संबंध में कम या शून्य दावों के कारणों की समीक्षा की है; और

(घ) दावों के विलंबित या अनुचित निपटान के लिए बीमा कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) मुख्य रूप से 'क्षेत्रीय दृष्टिकोण' पर आधारित है, जिसमें बीमित फसल की वास्तविक उपज में कमी के आधार पर भू खंड के आधार पर दावे निर्धारित किए जाते हैं। यह कमी संबंधित राज्य सरकार द्वारा फसल कटाई प्रयोग (CCE) और यस-टेक के तहत अनुमानित तकनीक आधारित उपज के आधार पर, योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में दिए गए सूत्र के अनुसार निर्धारित सीमा उपज से तुलना करके निर्धारित की जाती है। उपज में कोई कमी न होने की स्थिति में कोई दावा देय नहीं होता है।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में किसान प्रीमियम, रिपोर्ट किए गए दावों और भुगतान किए गए दावों का वर्षवार और बीमा कंपनीवार विवरण नीचे दिया गया है:

जिला (राजस्थान)	वर्ष	आईसी नाम	किसान प्रीमियम	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे
			(करोड़ रुपये में)		
हनुमानगढ़	**2021-22**	एआईसी	58.39	796.24	791.51
	2022-23	एआईसी	50.67	637.65	633.73
	2023-24	एआईसी	68.96	401.26	396.26
	2024-25	एआईसी	70.06	328.64	324.37
	2025-26	एआईसी	70.15	109.76	107.68
हनुमानगढ़ कुल			**318.23**	**2,273.55**	**2,253.55**
श्री गंगानगर	**2021-22**	एआईसी	0.03	0.005	-
		एसबीआई जनरल	39.04	184.24	183.78
	2022-23	एआईसी	0.30	2.34	2.33
		एसबीआई जनरल	41.59	130.04	129.84
	2023-24	एआईसी	0.06	0.41	0.41
		क्षेमा जनरल	49.61	293.16	292.05
	2024-25	एआईसी	0.10	-	-
		क्षेमा जनरल	56.93	261.09	209.53
	2025-26	एआईसी	0.07	-	-
		क्षेमा जनरल	39.10	26.72	22.11
श्री गंगानगर कुल			**226.83**	**898.00**	**840.05**

(ग): खरीफ 2025 से CCE Agri App के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों (CCE) का संचालन अनिवार्य कर दिया गया है और तदनुसार, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2025-26 में राजस्थान में लगभग 93% CCE, CCE Agri App के माध्यम से किए गए। इसके अतिरिक्त, CCE की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण किए जाते हैं।

मैनुअल फसल कटाई प्रयोगों (CCE) पर निर्भरता कम करने के लिए यस-टेक (**प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली**) वस्तुनिष्ठ फसल क्षति एवं नुकसान आकलन और पारदर्शिता के लिए खरीफ वर्ष 2023 से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। उपज आकलन में अनिवार्य 30% वेटेज यस-टेक द्वारा प्राप्त उपज को दिया गया है। राजस्थान ने वर्ष 2025-26 में 30% वेटेज के साथ यस-टेक को कार्यान्वित किया है।

फसल नुकसान आकलन ऐप (CLAP) को एक डिजिटल मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में विकसित किया गया है ताकि PMFBY योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत खेतों और भू खंडो के लिए स्थानीय आपदाओं/फसलोपरांत नुकसान के आकलन को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए CLAP का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

(घ): बीमा कंपनियों द्वारा योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिकांश दावों का निपटारा कर दिया जाता है। हालांकि, राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में PMFBY के कार्यान्वयन के दौरान कुछ दावे लंबित रहे, जिसका मुख्य कारण नामांकित किसानों के बैंक खातों के सत्यापित न होने और राज्य सरकार की लंबित दावा देयता थी।

योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में दी गई समय-सीमा के अनुसार, बीमा कंपनियों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर दावों की गणना और बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी की प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर दावों का निपटान करना होगा। यदि उपरोक्त उल्लिखित समयसीमा के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है, तो 12% का जुर्माना स्वतः ही गणना करके NCIP के माध्यम से खरीफ 2024 सीजन से कार्यान्वित किया जाएगा।
